राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक प.2(78)राज.–9/एल.सी/2025 जयपुर, दिनांक :– 01/01/2026

समस्त जिला कलक्टर
राजस्थान।

–:परिपत्रः–

ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् संपरिवर्तन की समस्त कार्यवाही करने के संबंध में राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् संपरिवर्तन की कार्यवाही के संबंध में राजस्व विभाग, नगरीय विकास विभाग एवं स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी परिपत्र कमांक प० 1 (37) राज–9/भू० रू0/2024 दिनांक 18.03.2025 की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।
2. **ऐसे प्रकरण जिनमें परिपत्र दिनांक 18.03.2025 के अनुसार नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने से पूर्व जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के यहा आवेदन प्रस्तुत किया जाकर आंशिक अथवा पूर्ण राशि जमा कराई जा चुकी है,** उनमें अग्रिम कार्यवाही जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा की जानी है, उन प्रकरणों में संपरिवर्तन शुल्क की गणना के संबंध में जारी परिपत्र कमांक प० 1 (37) राज–9/भू०रू0/2024 दिनांक 26.04.2025 को अतिक्रमित करते हुए ले–आउट प्लान/भवन मानचित्र का अनुमोदन एवं संपरिवर्तन शुल्क की गणना के संबंध में समस्त प्रक्रिया राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत ही की जावे तथा **ऐसी स्वीकृतियों में तकनीकी प्रावधान नगरीय विकास विभाग के प्रचलित राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2024, मॉडल राजस्थान भवन विनियम–2025 इत्यादि की अनुपालना सुनिश्चित होने पर ही स्वीकृति जारी की जावें।**
3. राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 18.03.2025 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि **नगरीय क्षेत्र में नवीन राजस्व ग्राम शामिल करने की अधिसूचना दिनांक या उसके पश्चात् आवेदन किये जाने वाले प्रकरणों में** भूमि संपरिवर्तन की कार्यवाही भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 ए के तहत नगरीय निकाय/नगरीय विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा की जावे। उपरोक्तानुसार नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना जारी होने के उपरान्त नवीन जोडे गये राजस्व ग्रामों में संपरिवर्तन/ले–आउट प्लान/भवन मानचित्र अनुमोदन के प्राप्त होने वाले प्रकरणों में **तकनीकी मानदण्ड की अनुपालना एवं शुल्क की गणना नगरीय विकास विभाग के प्रचलित प्रावधानों यथा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम–2012, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2024, मॉडल राजस्थान भवन विनियम–2025 आदि के अनुसार की जावें तथा स्वीकृति संबंधित नगरीय निकाय/नगरीय विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा जारी की जावें।**

अतः ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्रामों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने की दिनांक या उसके पश्चात् राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत प्राप्त/विचाराधीन आवेदनों को यह सलाह देते हुए कि आवेदक संबंधित नगरीय निकाय/नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण के प्राधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते है, आवेदनों को लौटाया जावें।

(डा0 देवाशीष पुष्टि)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

(रवि जैन)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(डा0 जोगाराम)
शासन सचिव
राजस्व विभाग